

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली, (चमोली)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि जनपद चमोली में परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के किमी0 8 से रा0इ0का0 पैतोली, राजकीय उद्यान विभाग पैतोली होते हुये स्थान पैतोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2018 के 04 महीने की 28/06 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1 - यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2 - यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि उक्त परियोजना के निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा, तथा नाप भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3 - यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

नाम भूमि धर

- (17) - नरहिया लाल
- (18) - गोपाल लाल
- (19) - बलराम लाल
- (20) - मनोम लाल
- (21) - जगदीश लाल
- (22) - जगदीश सिंह
- (23) - मोहन गुसाई
- (24) - मनोज सिंह

हस्ताक्षर

ORPALAL

बलराम लाल

मनोम लाल

जगदीश लाल

मनोज सिंह
manoj

सेवा में
श्रीमान अधिकाड़ी अभियंता महोदय
लोक निर्माण विभाग थरानी जिला चमोली

विषय:- वनपंचायत डुंशी कडाकोट का अनापति प्रमाणपत्र

महोदय

निलेदन करता हूँ कि परबाल डुंशी मोटर मार्ग
के कि० मी० 8 से रा० 50 का पत्तोली रा० उद्धान विभाग
पत्तोली से बृहजलोली मैदान पत्तोली तक जो 02 कि० मी०
मोटर मार्ग का समेपकरण (सेब) हुआ है उसके
अंतर्गत वनपंचायत एवं रिजर्व फॉरेस्ट का कोई भी
अधिक नहीं है,

अतः वनपंचायत डुंशी इस मोटर मार्ग की
स्वीकृति के साथ ही अनापति प्रमाण पत्र सेवा में
प्रोहल करती है।
दिनांक - 05/6/16

